



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59947

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2459/2026

केशरी प्रसाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: धीरज सिंह, राघवेंद्र सिंह राठौर

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 659/2010, धारा 419, 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी., थाना मछली शहर, जिला जौनपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक ने भारतीय स्टेट बैंक से 1,95,000/- रुपये का ऋण लिया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि उसने कूटरचित्त खतीनी के आधार पर ऋण लिया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक एक किसान है, जिसने संबंधित बैंक से 24.02.2009 को ऋण लिया था, लेकिन उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर वर्तमान कार्यवाही शुरू की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि ऋण की राशि भी आवेदक द्वारा 03.01.2014 को चुका दी गई थी और आवेदक द्वारा कुछ भी भुगतान किया जाना शेष नहीं है, संबंधित बैंक द्वारा जारी "अदेय प्रमाण पत्र" की प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 54 पर है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक इस धारणा में था कि चूंकि उसके द्वारा ऋण की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए उसके विरुद्ध शुरू की गई दाण्डिक कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन वह जारी रही, इस बीच उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक को आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक ने वर्ष 2014 में ही ऋण की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध लंबे समय से गैर-जमानती वारंट चल रहा है, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

5. उपरोक्त तर्कों के उत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि भले ही दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई हो, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के प्रार्थना पत्र पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक रिपोर्ट किए गए निर्णय (दाण्डिक अपील संख्या 4564/2024, निर्णीत 12.11.2024) पर भरोसा जताया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6 से 9 पर भरोसा जताया गया है, जो इस प्रकार हैं:-

"6. अपीलकर्ता और मृतक के बीच संबंध विवाद में नहीं है। स्वीकार्य रूप से, अपीलकर्ता के बेटे को गिरफ्तार किया गया है और वह अभी भी हिरासत में है। यह कहना गलत है कि प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण के अनुपालन में अपीलकर्ता विवेचना में सहयोग नहीं कर रही थी और वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा विवेचना प्राधिकारी को भेजे गए संचार के बावजूद, विवेचना प्राधिकारी ने उसे विवेचना में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

8. अग्रिम जमानत के विचार पर आते हुए, दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत घोषणा की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के प्रार्थना पत्र पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

9. जब अपीलकर्ता की स्वतंत्रता का प्रश्न सामने हो, तो इस न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और उस पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसके आधार पर ऐसी उद्घोषणा जारी की गई थी। यह कहना पर्याप्त है कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है, इस शर्त पर कि अपीलकर्ता आगे की विवेचना में सहयोग करेगी। हालांकि, उत्तरदाताओं को जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का उल्लंघन होता है या गवाहों के प्रति कोई खतरा महसूस होता है।"

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में यह निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा आशा दुबे (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त कानूनी प्रस्ताव पर विचार करते हुए कि ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के प्रार्थना पत्र पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जैसा कि वर्तमान मामले में जिस समय आवेदक के विरुद्ध कुछ प्रक्रियाएं जारी की गई थीं वह पारिवारिक परिस्थितियों (गर्भावस्था) में थी और संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थी, यह न्यायालय इसे अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।
8. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक केशरी प्रसाद की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण के समापन तक 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - i) आवेदक अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों को डराएगा या प्रताड़ित नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक वैसा अपराध नहीं करेगा जैसा अपराध करने का उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों को बताने से विरत रहे या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

एस. अली

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"